


सदस्य सचिव,
एम्पावर्ड कमिटी (प्रशासन शहरो के संगे)
2021
नगरपालिका, श्रीमधोपुर।

595
15/11/2021

~~चतुर्मासिक विषय - दिनांक 15-11-2021 को दोपहर एक बजे~~
~~15/11/2021~~ आयोजित बैठक काबत

विधयान्तगत लेख है कि आप द्वारा आयोजित
की जाने वाली एम्पावर्ड कमिटी बैठक (प्रशासन शहरो के
संगे 2021) दिनांक 15-11-2021 के सन्दर्भ में लेख
है कि बैठक एजेण्डा बिन्दु 01 स्पीड ब्रेकर क्रय कले
वाले विचार के बिन्दु पर नगरपालिका श्रीमधोपुर
की दिनांक 10-8-2021 को आयोजित बोर्ड बैठक में इसी
बिन्दु पर विचारार्थ रखा गया था किन्तु उक्त
बैठक के इस प्रथम बिन्दु पर ही माननीय पार्टी को
में आपसी सहमति नहीं बन पाये सें बैठक स्थगित
कली पडी थी, इससे जादीर है कि स्पीड ब्रेकर क्रय
कले के बिन्दु पर बोर्ड में एक बार चर्चा होकर
रह गई एवं विवाद के कारण सहमति नहीं बन पाये
पर अब भी ज्यादा उचित होगा कि उक्त बिन्दु
पर पुनः बोर्ड में विचार का निर्णय लिया जावे
यूँकि उक्त स्पीड ब्रेकर क्रय कला वर्तमान स्थिति में
आवश्यक भी नहीं है एवं इसलिये अभियान में ही निर्णय
लेकर कार्यवाही कला भी आवश्यक प्रतीत नहीं होता 0

अतः इस बिन्दु पर सभी सम्मानित पार्टी को
के विचार विमर्श बाद बोर्ड बैठक में निर्णय लिया
जाना चाहिये। 15/11/21


(हरिनारायण शर्मा)
अध्यक्ष
नगरपालिका, श्रीमधोपुर (सीकर)

कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक:नपाश्रीमा/2021-22/2723

दिनांक: 15/11/2021

एम्पावर्ड समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 15.11.2021को दोपहर 1.00 बजे नगर पालिका श्रीमाधोपुर में आहूत एम्पावर्ड समिति के समक्ष निम्नानुसार 10 (दस) प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ रखा गया। नियत समय पर बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय द्वारा लिखित में एम्पावर्ड समिति में रखे जाने वाले प्रकरणों के संबंध में एम्पावर्ड समिति की कार्यवाही विवरण में स्वयं का लिखित मत अंकित करने हेतु पत्र अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त एम्पावर्ड समिति में अपनी उपस्थिति पत्र हस्ताक्षर करने से मना करते हुए एम्पावर्ड समिति की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व ही बैठक छोड़कर नगर पालिका श्रीमाधोपुर कार्यालय से चले गये। जिसके उपरान्त एम्पावर्ड समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1. श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(हरिनारायण)	(अध्यक्ष)	अनुपस्थित।
2. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(रजत जैन)	(सदस्य सचिव)	उपस्थित।
3. श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर	(मो. अजहर जाटू)	(सदस्य)	उपस्थित।
4. श्रीमान कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(लोकेश निठारवाल)	(सदस्य)	उपस्थित।
5. श्रीमान विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(रक्षपाल स्वामी)	(विशेष आमंत्रित सदस्य)	उपस्थित।
6. श्रीमान लेखा प्रभारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(निश्चल बनर्जी)	(विशेष आमंत्रित सदस्य)	उपस्थित।

अध्यक्ष महोदय के उक्त एम्पावर्ड कमेटी पर अपनी उपस्थित पत्र पर हस्ताक्षर पर मना करने एवं एम्पावर्ड कमेटी की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व ही बैठक छोड़कर नगर पालिका श्रीमाधोपुर कार्यालय से चले जाने पर अनुपस्थित रहने के कारण नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.8(ग) 0 नियम/डीएलबी/2021/68664 दिनांक 27.09.2021 के नोट बिन्दू संख्या 03 में दिये गये आदेशों की पालना में उपस्थिति अनुसार कोरम पूर्ण होने पर उक्त समिति की अध्यक्षता श्रीमान अधिशाषी अधिकारी के द्वारा करते हुये श्रीमान अधिशाषी अधिकारी की आज्ञा से समिति के समक्ष निम्न प्रकरण/ एजेण्डा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखे गये :-

1. नगर पालिका श्रीमाधोपुर क्षेत्र में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर कय एवं स्थापित किये जाने पर विचार/निर्णय :-
उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका श्रीमाधोपुर का उक्त प्रकरण/एजेण्डा संख्या 01 में एम्पावर्ड समिति कार्यवाही विवरण में लिखित मत यह है कि आप द्वारा आयोजित की जाने वाली एम्पावर्ड कमेटी बैठक (प्रशासन शहरो के संग-2021) दिनांक 15.11.2021 के सन्दर्भ में लेख है कि बैठक एजेण्डा बिन्दु 01 स्पीड ब्रेकर कय करने वारंते विचार के बिन्दु पर नगरपालिका श्रीमाधोपुर की दिनांक 10.08.2021 को आयोजित बोर्ड बैठक में इसी बिन्दु पर विचारार्थ रखा गया था किन्तु उक्त बैठक में इस प्रथम बिन्दु पर ही माननीय पार्षदों में आपसी सहमति नहीं बन पाने से

बैठक स्थगित करनी पडी थी, इससे जाहीर है कि स्पीड ब्रेकर क्रय करने के बिन्दु पर बोर्ड मे एक बार चर्चा होकर रह गई एवं विवाद के कारण सहमति नही बन पाने पर अब भी ज्यादा उचित होगा। कि उक्त बिन्दु पर पुनः बोर्ड मे विचार कर निर्णय लिया जावे चूकि उक्त स्पीड ब्रेकर क्रय करना वर्तमान स्थिति में आवश्यक भी नही है एवं इससे अभियान मे ही निर्णय लेकर कार्यावाही करना भी आवश्यक प्रतीत नही होता अतः इस बिन्दु पर सभी सम्मानित पार्षदो के विचार विमर्श बाद बोर्ड बैठक मे निर्णय लिया जाना चाहिये। इससे उपरान्त अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर माननीय पार्षदो के द्वारा नगर पालिका श्रीमाधोपुर क्षेत्र वाहनो की अत्यधिक स्पीड से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु दुर्घटना संभावित रास्तो/सडकों में स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की गई। जिसके सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर क्षेत्र में वाहनो की अत्यधिक स्पीड से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु दुर्घटना संभावित रास्तो/सडकों में स्पीड ब्रेकर क्रय किये जाने पर 4.90 लाख रुपये का व्यय होना अनुमानित है।

अतः उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के पत्राक प.8(ग) () नियम/डीएलबी/2021/68664 दिनांक 27.09.2021 के आदेश के नोट के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार एम्पावर्ड कमेटी मे न्यूनतम 3 सदस्यों का कोरम होगा तथा उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिये जायेगे। उक्त आदेशो की पालना मे उक्त एजेण्डे पर अध्यक्ष महोदय की असहमति मानते हुये एम्पावर्ड समिति के शेष सदस्यो द्वारा नगर पालिका श्रीमाधोपुर क्षेत्र में वाहनो की अत्यधिक स्पीड से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु दुर्घटना संभावित रास्तो/सडकों में स्पीड ब्रेकर क्रय किये जाने पर 4.90 लाख रुपये का व्यय होना अनुमानित है प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने का निर्णय बाद विचार विमर्श बहुमत से लिया गया

2. श्री अनिल कुमार चौधरी पुत्र श्री आत्माराम चौधरी, श्रीमती सीमा चौधरी पत्नी श्री अनिल कुमार चौधरी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :- उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री अनिल कुमार चौधरी पुत्र श्री आत्माराम चौधरी, श्रीमती सीमा चौधरी पत्नी श्री अनिल कुमार चौधरी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 18.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना का प्रकाशन आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 01.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नही है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है, आवेदित भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नं. 557 गैरमुमकिन आबादी में दर्ज है, आवेदित भूमि अकृषि भूमि है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 31.12.2018 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड











का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 519.65 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थिति द्वारा आवेदक श्री अनिल कुमार चौधरी पुत्र श्री आत्माराम चौधरी, श्रीमती सीमा चौधरी पत्नी श्री अनिल कुमार चौधरी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 519.65 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

3. श्री मेहराजुदीन पुत्र श्री बुन्दु खॉ एवं श्रीमती पीरोजा बानो पत्नी श्री मेहराजुदीन द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :- :- उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री मेहराजुदीन पुत्र श्री बुन्दु खॉ एवं श्रीमती पीरोजा बानो पत्नी श्री मेहराजुदीन द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 12.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 08.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 36 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 28.84 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थिति द्वारा आवेदक श्री मेहराजुदीन पुत्र श्री बुन्दु खॉ एवं श्रीमती पीरोजा बानो पत्नी श्री मेहराजुदीन से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 28.84 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4. श्री शिम्भुदयाल सैन पुत्र श्री मालचन्द (मालीराम) द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री शिम्भुदयाल सैन पुत्र श्री मालचन्द (मालीराम) द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 29.09.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 08.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 90 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का

कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 51.94 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थिति द्वारा आवेदक श्री शिम्भुदयाल सैन पुत्र श्री मालचन्द (मालीराम) से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 51.94 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

5. श्री रियाजुदीन कुरैशी पुत्र श्री बुन्दु खॉं द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री रियाजुदीन कुरैशी पुत्र श्री बुन्दु खॉं द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 12.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 08.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 38 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 37.62 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।



अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थिति द्वारा आवेदक श्री रियाजुदीन कुरैशी पुत्र श्री बुन्दु खॉं से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 37.62 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

6. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री धन्नाराम खटीक द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री धन्नाराम खटीक द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 06.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 08.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 90 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध


हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 53.63 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थिति द्वारा आवेदक श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री धन्नाराम खटीक से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 53.63 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7. श्री निजाम कुरैशी पुत्र श्री बुन्दु खॉ एवं श्रीमती सायरा बानो पत्नी श्री निजात कुरैशी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार/निर्णय :- उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री निजाम कुरैशी पुत्र श्री बुन्दु खॉ एवं श्रीमती सायरा बानो पत्नी श्री निजाम कुरैशी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 02.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 08.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 90 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 41.74 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थिति द्वारा आवेदक श्री निजाम कुरैशी पुत्र श्री बुन्दु खॉ एवं श्रीमती सायरा बानो पत्नी श्री निजाम कुरैशी से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 41.74 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

8. श्री अयूब कुरैशी पुत्र श्री बाबू खॉ कुरैशी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार/निर्णय :- उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री अयूब कुरैशी पुत्र श्री बाबू खॉ द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 09.09.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 08.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 38 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से



पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 151.44 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।


अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थिति द्वारा आवेदक श्री अयूब कुरैशी पुत्र श्री बाबू खॉ से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 151.44 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

9. **श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. श्री चान्द बिहारी कुमावत द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :-** अ उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. श्री चान्द बिहारी कुमावत द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 14.09.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 29.09.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 95 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 127.36 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थिति द्वारा आवेदक श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. श्री चान्द बिहारी कुमावत से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 127.36 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

10. **शहरो के संग अभियान-2021 की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा पर विचार :-** उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के प्रचार-प्रसार हेतु शहर के प्रमुख स्थानों पर प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 से सम्बन्धित होर्डिंग लगवाते हुए एवं वार्डवाईज टीम गठित कर घर-घर पम्पलेट बटवाये जा रहे हैं। शहर के मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से 02 अक्टूबर 2021 से प्रारम्भ होने वाले प्रशासन शहरो के संग अभियान के दौरान वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूची का प्रकाशन करवाया गया है, ताकि आमजन को वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूचना से अवगत हो सके। वर्तमान में नगर पालिका श्रीमाधोपुर में विभिन्न प्रकार के पट्टों, नामान्तरण, निर्माण स्वीकृति, उप-विभाजन, पुर्नगठन, ले-आउट प्लान अनुमोदन एवं भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन के लगभग 45 पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। जिन पर त्वरित गति से निस्तारण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ है।

अतः उक्त प्रकरण में एम्पावर्ड कमेटी के उपस्थिति द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के दौरान आमजन को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूक कर अभियान को सफल बनाते हुए अधिक से अधिक लोगो से पट्टो के लिए आवेदन करवाकर लाभान्वित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।




(रजत जैन)

अधिसूचना अधिकारी
नगर पालिका श्रीमाधोपुर



(मो. अजहर जाट)

उप/मि. अजहर जाट
जिला नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग, सीकर



(रक्षपाल स्वामी)

विधि सलाहकार
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

Lokesh Mithrawal
(लोकेश निठारवाल)

कमिश्नर अभियन्ता
नगर पालिका श्रीमाधोपुर



(निश्चल बनर्जी)

लेखा प्रभारी
नगर पालिका श्रीमाधोपुर